न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00427

1. मदनलाल आत्मज मथुरालाल जाति धाकड निवासी रिछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. हजारी बाई पत्नी मदनलाल जाति धाकड निवासी रिछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
3. संतोष पुत्री मदनलाल पत्नी देवीशंकर जाति धाकड निवासी अरल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. विकास पुत्र देवीशंकर जाति धाकड निवासी अरल्या तहसील दीगोद लाडपुरा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सुशीला बाई पुत्री मदनलाल पत्नी चन्द्र प्रकाश जाति धाकड निवासी केवडा तहसील अन्ता जिला बारां ।
2. राममूर्ति पुत्री मदन लाल पत्नी महेन्द्र जाति धाकड निवासी बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. जानकी बाई पुत्री मदन लाल पत्नी प्रहलाद जाति धाकड निवासी जाखडोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. मनभर पुत्री मदनलाल पत्नी गोरधन जाति धाकड निवासी रमता तहसील व जिला बून्दी ।
5. कृष्णा पुत्री मदन लाल पत्नी मुकेश कुमार जाति धाकड निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
6. तुलसी पुत्री मदनलाल पत्नी मनमोहन जाति धाकड निवासी गायत्री नगर, बारां जिला बारां
7. धापू पुत्री मदनलाल पत्नी अमन कुमार जाति धाकड निवासी जाखडोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 19.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 03 के पिता अप्रार्थी कम 01 के खाते में ग्राम जियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 08 रकबा 4.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.28 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 5.64 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 03 की माता अप्रार्थी कम 02 के खाते में इसी ग्राम में खसरा नम्बर 32 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.80 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 1.66 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त दोनों भूमियॉ अप्रार्थी कम 01 व 02 के खाते में दर्ज चली आ रही हैं जो पुश्तैनी भूमियॉ हैं। अप्रार्थी कम 1व 2 के प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 03 पुत्रियों के अलावा कोई पुत्र संतान नहीं है। उक्त भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व अधिकार बनता है । इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थी कम 1व 2 के साथ अपना नाम दर्ज करा कर सहखातेदार घोषित होने की अधिकारी है । अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण भूमि अप्रार्थी कम 1 व 2 के नाम अलग–अलग खाते में दर्ज होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी कम 3 व 4 अप्रार्थी कम 1 व 2 से मिलीभगत कर अप्रार्थी कम 1 व 2 को बहकावे में लेकर अपने स्वार्थ हेतु अपने नाम कराने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होने से अप्रार्थी कम 1 व 2 को उनके नाम दर्ज भूमि को बेचान रहन, दान, वसीयत, अन्तरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान, दान, वसीयत तथा अन्तरण नहीं करें और न किसी प्रकार के दस्तावेज के आधार पर इंतकाल की कार्यवाही करें तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और न ही किसी प्रकार के दस्तावेज पंजीयन करावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को अधीनस्थ न्यायालय ने पुश्तैनी भूमि मानने में त्रुटि की है । आराजी खसरा नम्बर 32 व 59 की कुल आराजी 1.66 हैक्टर भूमि के खातेदार हेमराज पुत्र चन्दा धाकड ने दिनांक 21.04.2004 को पंजीकृत विक्रय पत्र से अपीलान्ट कम 02 को विक्रय की थी तब से

अपीलान्ट क्रम 02 की खातेदारी में व कब्जे काश्त में चली आ रही है । इसी प्रकार खस
नम्बर 08 व 30 की भूमि का न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद की डिक्री दिनांक 12.07.199
से अपीलान्ट क्रम 01 को खातेदार घोषित किया गया था । इस प्रकार उक्त भूमियॉ पैतृ
सम्पत्ति नहीं हैं बल्कि अपीलान्ट क्रम 1 व 2 की निजी भूमियॉ हैं जिसके बाबत् रेस्पोडेन
वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 32 व 59 की 1.66 हैक्टर भू
अपीलान्ट क्रम 1 व 2 ने दिनांक 02.08.2019 को पंजीकृत दानपत्र से अपीलान्ट क्रम 04 क
दान कर दी है जिस पर अपीलान्ट क्रम 04 बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त है । रिकॉर्ड
खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि का रहन व विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा
जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराय और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने, रिकॉर्ड एव मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 32 एवं 59 की रकबा 1.66 हैक्टर खातेदार हेमराज पुत्र चन्दा धाकड ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट क्रम 02 को विक्रय की थी तब से ही यह आराजी अपीलान्ट क्रम 02 के कब्जे एवं खाते में दर्ज चली आ रही है । ग्राम जियाहेडी की आराजी खसरा नम्बर 08 और 30 की भूमि अपीलान्ट क्रम 01 को सहायक कलक्टर, दीगोद की डिक्री से खातेदार कृषक घोषित किया गया । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट क्रम 1 व 2 की निजी भूमि है पैतृक भूमि नहीं । अपीलान्टगण क्रम 1 व 2 के जीवनकाल में रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रेस्पोडेन्ट ने आराजी पैतृक होने का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2018 (2) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 1105 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें वादीगण को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । अपीलान्टगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है, यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा इस स्टेज पर नहीं । अपीलान्टगण जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं उनको बेचान न करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है । अपीलान्टगण का आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 1995 (राज0) पेज 15, आरआरडी 2004 पेज 117 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा का एक प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिपक्षी कम 1 और 2 के खाते में दर्ज है जो पुश्तैनी है और प्रार्थीगण के अलावा उनके अन्य कोई संतान नहीं है । प्रतिपक्षीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

11. पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 22 मिन का हाल खसरा नम्बर 59 कायम किया गया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2036–39 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 22 मथुरालाल पुत्र माधो के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 22 की 56 बीघा 02 बिस्वा आराजी मथुरा लाल वल्द माधो के खाते में दर्ज है । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 03.11.1987 भी संलग्न है । पर्चा लगान की फोटो प्रति संलग्न और इसके अलावा एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार हेमराज ने खसरा नम्बर 32 और 59 की आराजी हजारी बाई अपीलान्ट कम 02 को विक्रय की है । एक दानपत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार हजारी बाई ने खसरा नम्बर 32 एवं 59 के बाबत् एक दानपत्र विकास कुमार नागर के पक्ष में निष्पादित किया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 32 व 59 हजारी बाई पत्नी मदन लाल के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार 02 किता की 5.64 हैक्टर आराजी मदनलाल पुत्र मथुरा लाल के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर एक निर्णय सहायक कलक्टर, दीगोद मुख्यालय कोटा दिनांक 12.07.1985 भी संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 37 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा और साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा अपीलान्ट कम 01 के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं । पत्रावली पर संलग्न मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 37 के हाल खसरा नम्बर 08 और साबिक खसरा नम्बर 54 के हाल खसरा नम्बर 30 कायम किये गये हैं । इसी प्रकार पत्रावली पर जो रिकॉर्ड संलग्न किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 32 और 59 अपीलान्ट कम 02 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है और आराजी खसरा नम्बर 08 और 30 अपीलान्ट के पक्ष में न्यायालय के निर्णय से दर्ज की गई है ।

12. वादग्रस्त आराजियात को पैतृक सिद्ध करने के लिए रेस्पोडेन्ट वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । अपीलान्टगण कम 01 और 02 जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं वो अभी जीवित हैं । माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बैंच के निर्णय 2018 (2) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 1105 के अनुसार पिता के जीवनकाल में उनके पुत्र अथवा पुत्री को उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता । इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह होल्ड किया गया है कि सन् 1956 के बाद यदि कोई व्यक्ति स्वअर्जित सम्पत्ति पर बिना वसीयत किये मरता है तो उसकी सम्पत्ति भले उसके पुत्र अथवा पुत्री ने प्राप्त की हो वह सहदायिकी की सम्पत्ति नहीं होगी । इस कारण पिता के जीवनकाल में उनके पुत्र– पुत्री को सम्पत्ति के विभाजन का दावा करने का अधिकार नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय की इस नजीर की रोशनी में वादीगण का प्रकरण प्रथमदृष्टया उनके पक्ष में तय नहीं पाया जाता है न ही सुविधा

का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 निरस्त किया जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा